HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8450/2026

Surendra Singh S/o Shri Babulal, Aged About 39 Years, R/o Dhani Derawali, Tan Gram Mau, Police Station Srimadhopur District Sikar (Raj.) At Present Flat No. 418, Plot No. A-05, Cross Road, Mal Complex, Central Spine, Vidhyadhar Nagar Jaipur (Raj.) (At Present Sub Jail Neem Ka Thana, Sikar).

----Accused-Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Varsha Sharma Mr. G.L. Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Rishi Raj Singh Rathore, PP Dr. Arpan Kumar Sharma

---

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V.J.)

Order

09/06/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 310/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 189(2), 324(2), 109(1), 304(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के साथ परिवादी पक्ष ने मारपीट की थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 314/2025 पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर में प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी के द्वारा दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर बाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त के शरीर पर काफी चोटें आना बताया गया और उसे अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्या 310/2025 झूठी दर्ज कराई गई है। इस प्रकरण में अर्जुनलाल, हंसराज व मयंक कुमावत के चोटें आना बताया गया है, जिसमें आहतगण को आई समस्त चोटें कुंद हथियार से हैं, धारदार हथियार से नहीं हैं, उक्त चोटें साधारण प्रकृति की हैं। आहतगण के आई चोट प्राणघातक नहीं है। इस प्रकरण में परिवादी हंसराज के भाई अर्जुनलाल की ओर से वर्ष 2014 में एक रिपोर्ट प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी, जिस पर विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 18.01.2016 के द्व ारा प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है, उनमें से 2 प्रकरण लंबित हैं और शेष समस्त प्रकरणों में गुणावगुणों पर विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर प्रार्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया है। सहअभियुक्त दिनेश उर्फ विक्रम का एकलपीठ आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 13490/2025 आदेश दिनांक 10.11.2025 के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है तथा सहअभियुक्त वरूण का जमानत प्रार्थलना पत्र विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर है, उसके विरुद्ध पूर्व में 10 आपराधिक प्रकरण विचाराधीन रहे हैं और राजीनामे का दबाव बनाने के लिए प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अर्जुनलाल को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिस पर परिवादी हंसराज के भाई अर्जुनलाल कुमावत ने एक शिकायत पुलिस थाना चौमूं जिला जयपुर (पश्चिम) में दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर ने भी प्रार्थी/अभियुक्त की तलाशी के लिए टीम गठित की थी। प्रार्थी/अभियुक्त ईनामी अपराधी है तथा वह बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार हुआ

है, उसने आहतगण के शरीर पर चोटें कारित की हैं, जिसमें हंसराज के दाएं हाथ की अंगुली की अस्थिभंग हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त को 10 प्रकरणों में से 8 प्रकरणों में उसका दोषमुक्त होना बताया गया है, 2 प्रकरण लंबित होने बताए गए हैं। वर्ष 2014 में परिवादी हंसराज के भाई अर्जुनलाल के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 18.01.2016 के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध से दोषमुक्त कर दिया है। दिनांक 26.09.2016 को दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है और दोनों पक्षों के द्वारा क्रॉस एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है तथा दोनों पक्षों के चोटें आईं। पीपल के हरे पेड़ को काटने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के भी परिवादी पक्ष द्वारा चोट पहुंचाई जाना बताया गया है। इस प्रकरण में आहतगण हंसराज और मयंक के साधारण प्रकृति की चोट है और अर्जुनलाल के दाएं हाथ की अंगुली पर एक अस्थिभंग है, अन्य चोटें साधारण प्रकृति की हैं। अर्जुनलाल के शरीर के मार्मिक अंग पर कोई चोट नहीं आई है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी पक्ष को धमकाने के संबंध में अभी कोई अनुसंधान पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सुरेन्द्र पुत्र बाबुलाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V.J.)),J

KISHAN SONI/151